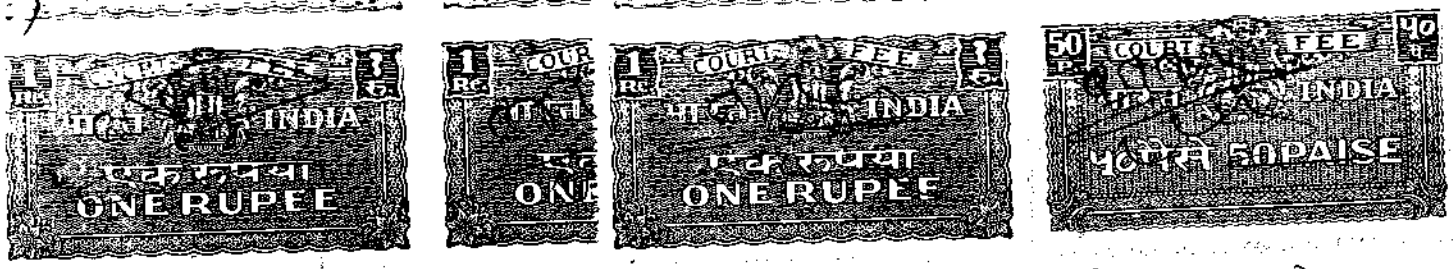

राजराखनसिंह तनय नागेश्वर सिंह निवासी ग्राम-जमोड़ी कला तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी (म0प्र0)- - - - - - - - - - -आवेदक

बनाम

1- ... सिंह पिसरान श्री भान सिंह निवासी ग्राम-जमोड़ी कला तहसील

2-बसन्त सिंह गोपाद बनास जिला - सीधी (म0प्र0)

3-मुसo सरोज देवी पत्नी राजकरण सिंह गहरवार निवासी ग्राम पावा,

तहसील-पुरहट, जिला-सीधी (म0प्र0)

4-मुसoअरुणं देवी पत्नी अवधराज सिंह निवासी ग्राम-डाढ़ तहसील होल सीधी (म0प्र0)

5-मध्य प्रदेश शासन - - - - - - - - - - - - - अनावेदक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा प्रकरण क्रमांक-539/अपील/91-92 निर्णय दिनांक 11-10-96 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला-सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक-31-7-92 को वैध माना गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस तरह है, कि पक्षकारान की समस्त पैत्रिक भूमियां ग्राम-जमोड़ी तहसील गोपद बनास जिला-सीधी में स्थित है, जिसका कोई भी प्रभावशील बटवारा आज तक नहीं हुआ, पक्षकारान मूल पुरुष रन्जोर सिंह की सन्ताने हैं। रन्जोर सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके चार पुत्रों में से केवल एक ही पुत्र के मृतक शिरोमणि सिंह के नाम

--2/-

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी ~~2351~~ 128–तीन/96 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
29-.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 539/अपील/91–92 में पारित आदेश दिनांक 11.10.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक केशव सिंह ने विचारण न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम जमोड़ीकला में स्थित सर्वे कमांक 17 एवं 18 इसका नया नम्बर 18 एवं 19 है इसके भूमिस्वामी शिरोमणि सिंह थे उन्होंने जरिये रजिस्ट्री उनकी मां छविराजू के नाम 1964 में कर दी थी जिसका नामांतरण दिनांक 15.3.69 को उनकी मां के नाम हो गया था लेकिन पटवारी अभिलेखों में उक्त नामांतरण का अमल नहीं किया जिसके कारण उनके नाना शिरोमणि	

सिंह का नाम चला आया । चूंकि उनकी मां छविराजू का देहांत हो गया है इस कारण उनके द्वारा नामांतरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। विचारण न्यायालय ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया इससे परिवेदित होकर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलांट की अपील में पारित आदेश दिनांक 31.7.92 स्पीकार की गई है। इससे दुखी होकर आवेदक राजराखन सिंह ने अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 11.10.96 को अनुविभागीय अधिकारी को आदेश स्थिर रखते हुये अपीलांट की अपील निरस्त कर दी गई। इसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा यह नहीं देखा है कि अनावेदक क्या नामांतरण कार्यवाही में हित रखता है या नहीं उक्त न्यायालय ने अनावेदक कब्जे रखल के विवाद से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया था तथा यह सिद्व किया था कि विवादित भूमियों में स्थल पर उसी का कब्जा दखल है व हितधारी व्यक्ति है। उनके द्वारा अपने

तर्क में यह भी कहा गया है कि नामांतरण के पूर्व इश्तहार ही जारी नहीं किया गया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों को सुना गया है । नामांतरण होने के पश्चात इश्तहार जारी किया गया है । उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामांतरण अवैधानिक है । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक राजराखन सिंह का नामांतरित भूमियों में कोई स्वत्व नहीं है। कब्जे के आधार पर नामांतरण प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। विवादित भूमियों के भूमिस्वामी वर्ष 83–84 से 87–88 तथा 78–79 से 82–83 तथा वर्ष 75–76 से 77–78 तक के खसरों में विवादित भूमि के भूमिस्वामी शिरोमणि सिंह अंकित है ऐसा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उल्लेख किया है। शिरोमणि अपनी पुत्री छविराजू पत्नी श्री भानसिंह वघेल के पक्ष में दिनांक 20.11.64 को संपादित किया गया है । राजस्व निरीक्षक

द्वारा दान पत्र के साथ नामांतरण भी किया जा चुका है। लेकिन पटवारी की त्रुटि के कारण कागजात में इसका इन्द्राज नहीं हुआ। पटवारी की गलती के कारण अनावेदक को इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि नामांतरण पंजी के अनुसार पटवारी रिकार्ड को अद्यतन करें।

"भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110–नामांतरण कार्यवाही में इश्तहार का प्रकाशन सम्यकरूप से किया गया। ग्राम पंचायत को सूचना दी गई, ग्राम में डोढ़ी पिटवाकर मुनादी कराई गई। सभी प्रकियाओं का पालन कर नामांतरण आदेश जारी किया गया । राजस्व अधिकारी द्वारा प्रकियात्मक त्रुटि की गई, जिसका खामियाजा अनपढ़ ग्रामीणों को नहीं भुगताया जा सकता,,

6– उपरोक्त विवेचदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि अपर आयुक्त रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के आदेशों से मैं सहमत हूॅ और उनमें हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं समझाता हूॅ। अतः आवेदक की निगानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11.10.96 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य